प्रेस नोट

दिनांक 17.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में जे0टी0सी0/आर0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चल रही तैयारियों का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में जे0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिए आज दिनांक 17 जून 2025 को रिक्रूट आरक्षियों का आगमन हो गया है। रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के पश्चात उनकी सुविधा, सुरक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय ने प्रशिक्षण बैरकों, क्लासरूम, आवासीय परिसर, भोजनालय, शौचालय, स्नानागार व पेयजल आदि सभी व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासित, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। रिक्रूट आरक्षियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महोदय द्वारा बैरकों में पर्याप्त पंखे व कूलर, आर.ओ. व जलशीतलन यंत्र, साफ-सुथरे शौचालय व स्नानागार, पोषणयुक्त भोजन एवं नियमित सफाई व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं निरीक्षण में सम्मिलित टीम को स्पष्ट निर्देश दिए कि रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता किसी भी स्थिति में समझौता योग्य नहीं है। उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जो अनुशासन, स्वच्छता, सुरक्षा एवं मानसिक-सामाजिक संतुलन को बढ़ावा देता हो, जिससे वे एक कुशल, कर्तव्यनिष्ठ एवं संवेदनशील पुलिसकर्मी के रूप में विकसित हो सकें। महोदय ने यह भी कहां कि प्रशिक्षण स्थल पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अनियमितता या लापरवाही की स्थिति मिलने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी । प्रशिक्षण न केवल एक प्रक्रिया है, बल्कि यह भावी पुलिस बल की नींव है। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं को मानव-केंद्रित, सुव्यवस्थित एवं उच्चस्तरीय बनाना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है । जनपद गोण्डा में जे0टी0सी0 हेतु कुल 771 रिक्रूट आरक्षियों का आगमन प्रस्तावित है, उनके प्रशिक्षण हेतु समुचित एवं उच्चस्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी है।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय , क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 17.06.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप तिवारी पुत्र राजेन्द्र तिवारी निवासी ग्राम मझवां टेढिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को बहद ग्राम सोनी हरलाल गांव को जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16/17.06.2025 की रात्रि को उ0नि0 सौरभ कुमार थाना को0 देहात मय हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। दौरान गश्त ग्राम सोनी हरलाल गांव को जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. संदीप तिवारी पुत्र राजेन्द्र तिवारी निवासी ग्राम मझवां टेढिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0-271/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 सौरभ कुमार।
02. हे0का0 विपिन बिहारी पटेल।
03. का0 कलीम अली।
04. का0 नरेन्द्र यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.06.2025

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के 03 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-148/25, धारा 115(2),352,351(3),110,105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 03 आरोपी अभियुक्तगण-01. निहाल अहमद उर्फ सैय्यद मुनीर अहमद पुत्र जमाल अहमद, 02. नावेद अहमद पुत्र जमाल अहमद, 03. तन्नू उर्फ सैय्यद तनवीर अहमद पुत्र जमाल निवासीगण ग्राम बकवा दरगाह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को गिन्नीनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09 जून 2025 को समय करीब सायं 5 बजे ग्राम पिपरा अद्दाई निवासी गोविन्द शर्मा सब्जी खरीदने के लिए गिन्नीनगर बाजार गया था। वहीं ग्राम बकवा दरगाह निवासी निहाल, तनवीर, तन्नू व नाबे पुत्रगण जमाल ने एक राय होकर गोविन्द को गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे, डंडों व थप्पड़ों से बुरी तरह मारा-पीटा, जिससे उसके सिर सहित शरीर में गंभीर चोटें आईं घायल को सीएचसी बुक्कनपुर से प्राथमिक उपचार के बाद पोलो हॉस्पिटल लखनऊ रेफर किया गया। जहां उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक की माता माया शर्मा की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 17.06.2025 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तगण-01. निहाल अहमद उर्फ सैय्यद मुनीर अहमद पुत्र जमाल अहमद, 02. नावेद अहमद पुत्र जमाल अहमद, 03. तन्नू उर्फ सैय्यद तनवीर अहमद पुत्र जमाल निवासीगण ग्राम बकवा दरगाह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को गिन्नीनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. निहाल अहमद उर्फ सैय्यद मुनीर अहमद पुत्र जमाल अहमद नि0 ग्राम बकवा दरगाह थाना खोड़ारे गोण्डा।
02. नावेद अहमद पुत्र जमाल अहमद नि0 ग्राम बकवा दरगाह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
03. तन्नू उर्फ सैय्यद तनवीर अहमद पुत्र जमाल नि0 ग्राम बकवा दरगाह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-148/25, धारा 115(2),352,351(3),110,105 बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अवनीश यादव।
02. हे0का0 सुग्रीव यादव।
03. का0 विवेक सिंह।
04. का0 मोहित सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.06.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 12,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2018 को थाना मनकापुर में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किए जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 267/18, धारा 376,354,504,506 भादवि व 3/4 पॉस्को एक्ट बनाम 01 नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त-प्रमोद उर्फ गोविंद जायसवाल पुत्र रामविलास जयसवाल निवासी शास्त्री नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 राम सजीवन पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.09.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 17.06.2025 को अभियोजक श्री अशोक सिंह, थाना मनकापुर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट महोदय राजेश नाथ मणि त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त प्रमोद उर्फ गोविंद जायसवाल को दोषसिद्ध करते हुए को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 12,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. प्रमोद उर्फ गोविंद जायसवाल पुत्र रामविलास जयसवाल निवासी शास्त्री नगर थाना मनकापुर जनपद गोंडा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 267/18, धारा 376,354,504,506 भादवि व 3/4 पॉस्को एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।